ASSIGNMENT

DEMOCRATIC AWARENESS THROUGH LEGAL LITERACY (SEC)

SWATI SHARMA

BAP/18/143

प्र01 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत गिरफ्तारी, तलाशी और जब्त करने से संबंधित मुख्य प्रावधानों पर चर्चा करें।

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (Code of Criminal procedure, 1973) भारत में आपराधिक कानून के क्रियान्वयन के लिए मुख्य कानून है। यह सन 1973 मे पारित हुआ तथा 1 अप्रैल 1973 से लागू हुआ। 'सीआरपीसी' दंड प्रक्रिया संहिता का संक्षिप्त नाम है जिन्हें पुलिस अपराध की जांच करने में अपनाती है। एक प्रक्रिया पीड़ित के संबंध में और दूसरे आरोपी के संबंध में होती है। सीआरपीसी में इन प्रक्रियाओं का ब्योरा दिया गया है। 'आइपीसी' भारतीय दंड संहिता का संक्षिप्त नाम है।

कुछ प्रकार के मानव व्यवहार ऐसे होते है जिसकी कानून इजाजत नहीं देता ऐसे व्यवहार करने पर किसी व्यक्ति को उनके परिणामों का सामना करना पड़ता है। खराब व्यवहार को अपराध या गुनाह कहते है और इसके परिणाम को दंड कहा जाता है। जिन व्यवहारों को अपराध या गुनाह कहते हैं और इसके परिणाम को दंड कहा जाता है। जिन व्यवहारों को अपराध माना जाता है उनके बारे में और हर अपराध से संबंधित दंड के बारे में ब्योरा मुख्यतया आइपीसी में दिया गया है।

जब कोई अपराध किया जाता है, तो सदैव दो प्रक्रियाएँ होती हैं, जिन्हे पुलिस अपराध की जांच करने में अपनाती है। एक प्रक्रिया पीड़ित के संबंध मे और दूसरी आरोपी के संबंध में होती है। सीआरपीसी में इन दोनों प्रकार की प्रक्रियाओं का ब्योरा दिया ~~जाता~~ गया है। दंड प्रक्रिया संहिता के द्वारा ही अपराधी को दंड दिया जाता है।

व्यक्तियों की गिरफ्तारी

शब्द गिरफ्तार को सीजीएसटी (एसजीएसटी अधिनियम) की में परिभाषित नहीं किया गया है। हालांकि, न्यायिक घोषणाओं के अनुसार, यह अर्थ है किसी व्यक्ति को कानून अधिकार या अधिकार के अंतर्गत अपने अधिकार में लेना है। दूसरे शब्दों में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया कहा जाता है जब उसे ले लिया जाता है और कानून वैध वारंट की शक्ति या रंग से उसकी स्वतंत्रता को नियंत्रित किया जाता है।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में गिरफ्तार करने और उसकी प्रक्रिया से संबंधित प्रावधानों का पालन किया जाना चाहिए। इसलिए सीजीएसटी / एसजीएसटी के सभी क्षेत्र अधिकारियों को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के प्रावधानों के साथ अच्छी तरह परिचित होना आवश्यक है।

सी आर पीसी, 1973 की धारा 57 के पास एक प्रावधान पर ध्यान आकर्षित करना बहुत महत्वपूर्ण है जो प्रदान करता है कि एक व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार करने पर हिरासत में लंबी अवधि तक नहीं रखा जा सकता, मामले की परिस्थिति के अंतर्गत, यह उचित है लेकिन वह 24 घंटे (गिरफ्तारी की जगह से यात्रा के समय को छोड़कर मजिस्ट्रेट की अदालत तक) से अधिक नहीं होगा। इस अवधि के भीतर, जैसा कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 56 के अंतर्गत प्रदान किया गया है, गिरफ्तार करने वाला व्यक्ति बिना वारंट के गिरफ्तार किये व्यक्ति को मामले में प्रस्तुत करेगा।

डी. के. बसु बनाम प. बंगाल सरकार के मामले का एक ऐतिहासिक फैसला 1997 (1) एससीसी 416 में, माननीय सर्वोच्च न्यायलय ने कुछ विशिष्ट दिशानिर्देश निर्धारित किये है जिनका गिरफ्तारी करते समय पालन करना आवश्यक था। जबकि इसका संबंध पुलिस से है, इसका अनुसरण उन सभी विभागों द्वारा करना आवश्यक है जिन्हे गिरफ्तारी की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। ये निम्न प्रकार है:

1. वे पुलिसकर्मी जो गिरफ्तारी और गिरफ्तार व्यक्तियों से पूछताछ करते है उन्हें सटीक, दृश्यता और स्पष्ट पहचान और विवरण एक रजिस्टर में दर्ज करने चाहिए।

2. पुलिस अधिकारी जो गिरफ्तारी करते है वह गिरफ्तारी के समय एक गिरफ्तारी ज्ञापन तैयार करेंगे और ऐसे ज्ञापन को कम से कम एक गवाह द्वारा अभिप्रमाणित किया जाएगा, इलाके का एक सम्मानित व्यक्ति हो सकता है जहाँ पर उनके पदनाम के साथ नाम के बिल्ले जो या तो परिवार का एक सदस्य या गिरफ्तारी की गई है। इसे गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा भी प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा और उसमें गिरफ्तारी का समय और तिथि शामिल होनी चाहिए।

3. एक व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया गया है या हिरासत में रखा गया है और एक पुलिस स्टेशन या पूछताछ केन्द्र या अन्य लॉक अप में निगरानी में रखा गया है, उसे जितनी शीघ्र व्यावहारिक है उसके एक दोस्त या रिश्तेदार या अन्य परिचित व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को सूचित करना चाहिए जिसे उसके कल्याण में रुचि है, कि उसे गिरफ्तार किया गया है और अब किसी विशेष स्थान पर हिरासत में रखा गया है, सिवाय उस स्थिति को छोड़कर जिसमें गिरफ्तारी के ज्ञापन का सत्यापन गवाह स्वयं ऐसा एक दोस्त या गिरफ्तार व्यक्ति का कोई रिश्तेदार है।

4. गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तार करने का समय, स्थान और हिरासत में रखे जाने वाला स्थल पुलिस द्वारा अधिसूचित किया जाना चाहिए और जहाँ गिरफ्तार व्यक्ति का अगला दोस्त या रिश्तेदार जिले या शहर से बाहर रहता है वहाँ पर जिले के विधिक स्थानीय सहायता संगठन के माध्यम से क्षेत्र के संबंधित पुलिस स्टेशन पर तार के माध्यम से गिरफ्तारी के बाद 8 से 12 घंटे की अवधि के भीतर करना चाहिए।

5. व्यक्ति की गिरफ्तारी के संबंध में हिरासत स्थल की प्रविष्टि एक डायरी में दर्ज की जानी चाहिए। जिसमें उसके अगले करीबी दोस्त का नाम लिखा जाना चाहिए जिसे गिरफ्तारी के बारे में सूचित किया गया है और उन पुलिस अधिकारियों के ब्यौरे दर्ज करने चाहिए जिनके अधिकार में उस गिरफ्तार व्यक्ति को रखा गया है।

6. गिरफ्तार व्यक्ति को, उसके निवेदन पर, गिरफ्तारी के समय उसकी छोटी - बड़ी चोटों के लिये जाँच की जानी चाहिये और यदि उसके शरीर में कोई पाई जाती है, उसे उसी समय दर्ज कर देना चाहिए। 'निरीक्षण ज्ञापन' गिरफ्तार व्यक्ति और गिरफ्तारी करने वाले पुलिस अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जाना चाहिए और उसकी एक प्रति गिरफ्तार व्यक्ति को प्रदान की जानी चाहिए।

7. हिरासत की दौरान गिरफ्तार व्यक्ति की स्वास्थ्य जाँच हर 48 घंटे बाद प्रशिक्षित चिकित्सक द्वारा की जानी चाहिए जिसकी नियुक्ति निदेशक, स्वास्थ्य सेवा, संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के स्वास्थ्य सेवा द्वारा नियुक्त अनुमोदित डॉक्टरों के पैनल में से की गई है, साथ ही निदेशक, स्वास्थ्य सेवा को सभी तहसीलों और जिलों के लिए एक पैनल बनाना चाहिए।

8. गिरफ्तारी ज्ञापन सहित ऊपर उल्लेखित सभी दस्तावेज की प्रतियां मजिस्ट्रेट को उनके रिकॉर्ड के लिये भेज दी जानी चाहिए।

9. पूछताछ के दौरान गिरफ्तार व्यक्ति को उसके वकील से मिलने की अनुमति दी जा सकती है, यदपि पूछताछ के सारे समय नहीं।

10. सभी जिलों और राज्य मुख्यालयों में एक पुलिस कंट्रोल रूम प्रदान करना चाहिए जिसमें गिरफ्तारी से संबंधित और गिरफ्तार व्यक्ति की हिरासत के स्थल की सूचना गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी द्वारा, गिरफ्तारी करने के 12 घंटे के भीतर, संचारित की जाएगी और पुलिस नियंत्रण कक्ष पर और इसे एक विशिष्ट नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

तलाशी

कानूनी शब्दकोश के अनुसार और विभिन्न न्यायिक निर्णयों में दिए के रूप में, शब्द "तलाशी", का सरल भाषा में अर्थ, सरकारी मशीनरी द्वारा एक कार्रवाई करना, देखना या एक स्थान, घर, व्यक्ति, वस्तुओं इत्यादि का बड़ी सावधानी के साथ यह जानने के लिये विरीक्षण करना कि कहीं कुछ छिपाया तो नहीं गया है या किसी अपराध के साक्ष्यों की तलाशी के उद्देश्य के लिए एक व्यक्ति या वाहन या परिसर आदि की तलाशी केवल कानून के उपयुक्त और वैध अधिकार क्षेत्र अंतर्गत किया जा सकता है।

एनडीपीएस के प्रावधानों के अंतर्गत तलाशी और जब्ती के लिए आदेश दे सकता है?

संयुक्त आयुक्त या उससे ऊपर की रैंक का अधिकारी किसी अधिकारी को लिखित रूप में तलाशी और वस्तुओं दस्तावेजों, किताबों या अन्य चीजों को जब्त करने की लिखित रूप में प्राधिकृत दे सकते हैं। संयुक्त आयुक्त इस तरह के प्राधिकार सिर्फ तभी दे कोई माल जब्ती के लिये उत्तरदायी है या कोई दस्तावेज या खाते या वस्तुएं किसी कार्यवाही के लिये प्रासंगिक है उन्हें किसी स्थान पर छिपाया गया है।

सर्च वारंट क्या है और उसकी विषय-वस्तु क्या है?

तलाशी करने के लिये लिखित प्राधिकृति को आमतौर पर सर्च वारंट कहा जाता है। सर्च वारंट जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी संयुक्त आयुक्त या उससे ऊपर के रैंक का अधिकारी है, एक सर्च वारंट में एक तर्कसंगत विश्वास का संकेत होना आवश्यक है जिसके कारण तलाशी की जा रही है। सर्च वारंट में निम्नलिखित विवरण शामिल करना चाहिए:

1. अधिनियम के अंतर्गत उल्लंघन,
2. तलाशी किये जाने वाला परिसर,
3. जारी करने वाले अधिकारी का गोल मुहर सहित
4. जारी करने वाले अधिकारी की गोल मुहर सहित पूर्ण पदनाम और नाम,
5. जारी करने की तारीख और स्थान,
6. सर्च वारंट का क्रमांक नंबर,
7. वैधता की अवधि अर्थात एक दिन या दो दिन आदि।

एक तलाशी करने वाले अधिकारी को पास तलाशी किये जाने वाले परिसर से वस्तुओं (जो जब्ती के लिए उत्तरदायी है) और दस्तावेजों, खाता बहियों या अन्य सामान (सीजीएसटी/ एसजीएसटी अधिनियम के अंतर्गत किसी भी कार्यवाही के लिए प्रासंगिक) की तलाशी और जब्ती करने की शक्तियां होती है। तलाशी के दौरान, जिस परिसर पर एक अधिकारी को तलाशी के लिये प्राधिकृत किया गया है यदि उसे प्रवेश करने से इन्कार किया जाता है तब उस अधिकारी के पास परिसर के प्रवेश द्वार को तोड़ने की शक्ति भी प्राप्त है। इसी प्रकार, परिसर के भीतर तलाशी करते समय, वह किसी भी अलमारी या डिब्बे को तोड़ सकता है यदि उसे कथित अलमारी या बॉक्स की जांच करने से इन्कार किया जाता है और उसे उसमें किसी प्रकार की वस्तुओं, खातों, रजिस्टर या दस्तावेज के छिपाए होने का संदेह है वह ~~परिसर~~ परिसर को सीलबंद भी कर सकता है यदि उसे प्रवेश करने से इन्कार किया जाता है।

तलाशी के संचालन के लिए क्या प्रक्रिया है?

सीजीएसटी / एसजीएसटी अधिनियम की धारा 67(10) निर्धारित करता है कि तलाशी दंड प्रक्रिया दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के प्रावधानों के अनुरूप क्रियान्वित की जानी चाहिए। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 100 तलाशी के लिए प्रक्रिया का वर्णन करता है।

तलाशी के दौरान निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए :

तलाशी के दौरान निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए :-

सक्षम अधिकारी द्वारा वैध सर्च वारंट के बिना परिसर की तलाशी नहीं ली जानी चाहिए।

यहां निरपवाद रूप में किसी आवास में तलाशी दल के साथ हमेशा एक महिला अधिकारी शामिल रहनी चाहिए।

तलाशी शुरू करने से पहले अधिकारियों को परिसर के प्रमुख व्यक्ति को अपना पहचान पत्र दिखा कर अपनी पहचान का खुलासा करना चाहिए।

सर्च वारंट तलाशी शुरू करने से पहले परिसर के प्रमुख व्यक्ति को दिखाकर निष्पादित किया जाना चाहिए और उसके हस्ताक्षर सर्च वारंट पर ले लेने चाहिए जो प्रमाण होगा कि उन्होंने सर्च वारंट देखा है। कम से कम दो गवाहों के हस्ताक्षर भी सर्च वारंट पर लिये जाने चाहिए।

तलाशी इलाके के कम से कम दो स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में की जानी चाहिए। यदि ऐसे कोई निवासीयों उपलब्ध/इच्छुक नहीं है, तब पास के किसी अन्य इलाके के निवासियों को तलाशी की गवाही के लिये निवेदन किया जाना चाहिए। गवाहों को तलाशी के उद्देश्य के बारे में भी जानकारी दी जानी चाहिए।

तलाशी की कार्यवाही शुरू करने में पहले, तलाशी सहित परिसर के प्रमुख व्यक्ति को उनकी स्वयं की व्यक्तिगत तलाशी करने के लिए प्रस्तुत करना चाहिए वैसी तरह, तलाशी पूर्ण हो जाने के बाद सभी अधिकारी और गवाहों को एक बार फिर अपनी स्वयं की व्यक्तिगत तलाशी करने के लिए प्रस्तुत करना चाहिए।

तलाशी की कार्यवाही का पंचनामा / महाजर तलाशी स्थल पर तैयार करना अति आवश्यक है। सभी बरामद / जब्त की गई वस्तुओं, दस्तावेजों की सूची तैयार कर पंचनामा / महाजर के साथ संलग्न की जानी चाहिए। पंचनामा / महाजर और सभी बरामद / जब्त की गई वस्तुओं, दस्तावेजों की सूची पर गवाहों, परिसर प्रमुख, / परिसर के स्वामी जिसके समक्ष तलाशी का संचालन किया गया है और प्रभारी अधिकारी जिसे तलाशी के लिये प्राधिकृत किया गया है निरपवाद रूप से इन सबके हस्ताक्षर लेने चाहिए।
तलाशी की समाप्ति के बाद, निष्पादित सर्च वारंट को उसके मूल रूप में उसके जारीकर्ता को तलाशी के संबंध में नतीजे के रिपोर्ट सहित वापस लौटा देना चाहिए। जिन अधिकारियों ने तलाशी में भाग लिया है उनके नाम भी तलाशी वारंट के पीछे लिखे जा सकते हैं।
सर्च वारंट जारीकर्ता अधिकारी को जारी किए गए तथा वापस लौटाए गए सर्च वारंट के रिकार्ड का ~~रजि~~ रजिस्टर बनाना चाहिए तथा प्रयोग किए गए सर्च वारंट के रिकार्ड में रखना चाहिए।
अपने संलग्नक के साथ पंचनामा / महाजर की एक प्रति उस परिसर प्रमुख / परिसर के स्वामी जहाँ पर तलाशी ली थी उसकी अभिस्वीकृति प्राप्त करने के साथ सौंप देनी चाहिए।

"जब्ती"

सीबीएसयी / एसबीएसयी अधिनियम में शब्द "जब्ती" को विशेषरूप से परिभाषित नहीं किया गया है लॉ लेक्सिकॉन शब्दकोष में, "जब्ती" को कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत एक अधिकारी द्वारा संपत्ति का कब्जा लेने की कार्रवाई के रूप में परिभाषित किया गया है।

आमतौर पर इसका आशय संपत्ति के मालिक की इच्छा के विरुद्ध कब्जा प्राप्त करना या जिसके कब्जे में संपत्ति है एवं जो वह उसे लौटना / आगे सौंपना नहीं चाहता था।

हाँ, सीजीएसटी / एसजीएसटी अधिनियम की धारा 129 के अंतर्गत एक अधिकारी के पास मालवाहक वाहन (ट्रक या अन्य प्रकार का वाहन) के साथ-साथ वस्तुओं को हिरासत में लेने का शक्ति है। ऐसे उस तरह की वस्तुओं के साथ किया जा सकता है जिन्हें सीजीएसटी / एसजीएसटी अधिनियम की धारा के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए माल में ले जाया जा रहा है या जमा किया गया हो। ऐसी वस्तुएँ जिन्हें भण्डारित किया गया हो या स्टोर में जमा किया गया हो, परन्तु उनका कोई हिसाब नहीं रखा जाता उन्हें हिरासत में लिया जा सकता है। इस तरह के सामान और वाहन को उनपर लागू कर के भुगतान के बाद या समतुल्य राशि की सुरक्षा राशि प्रस्तुत करने पर छोड़ा जा सकता है।

कानून में जब्ती और हिरासत के बीच क्या भेद है?

संपत्ति के मालिक या जिस व्यक्ति के कब्जे में संपत्ति है उस व्यक्ति को समय के किसी विशेष क्षण पर कानूनी आदेश / नोटिस द्वारा संपत्ति में प्रवेश करने से इनकार करने को हिरासत कहा जाता है। जब्ती विभाग द्वारा वस्तुओं पर वास्तविक कब्जा लेना है। जब्ती का आदेश तब भी जारी किया जाता है जब यह संदेह होता है कि वस्तुएँ जब्ती के लिए उत्तरदायी हैं। हिरासत तब की जाती है जब पूछताछ / जाँच करने के बाद पूरा विश्वास हो जाता है कि वस्तुएँ जब्ती के लिए उत्तरदायी हैं।

जीएसटी अधिनियम में तलाशी या जब्ती के संबंध में प्रदान किये गये सुरक्षा उपाय क्या है?

सीजीएसटी / एसजीएसटी अधिनियम की धारा 67 में तलाशी या जब्ती की शक्ति के संबंध में कुछ सुरक्षा उपाय प्रदान किये गए जाते है। ये निम्नलिखित प्रकार से है:

i जब्त की गई वस्तुएँ या दस्तावेज उनके परीक्षण के लिए आवश्यक अवधि के बाद नहीं रखे जाने चाहिए,

2. जिस व्यक्ति की अभिरक्षा में से दस्तावेज जब्त किये गये है वह दस्तावेजों की फोटोकॉपी ले सकता है,

3. जब्त की गई वस्तुओं के लिये, यदि जब्त करने के साठ दिनों के भीतर नोटिस जारी नहीं किया जाता, तब उस व्यक्ति को वह वस्तुएं वापस लौटा दी जाएंगी जिससे वे जब्त की गई थी। साठ दिनों की यह अवधि छह महीने की अधिकतम अवधि तक न्यायोचित आधार पर बढ़ाई जा सकती है,

4. जब्त करने वाले अधिकारी द्वारा सामान / वस्तुओं की सूची बनाई जाएगी,

5. सीजीएसटी नियमों के अंतर्गत कुछ वस्तुओं की श्रेणियां निर्दिष्ट (जैसे जल्दी खराब होने वाली, खतरनाक आदि) की गयी है जिनका जब्ती के तुरंत बाद निपटारा किया जा सकता है,

6. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तलाशी और जब्त करने से संबंधित प्रावधान लागू होंगे। हालांकि, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 165 की उपधारा (5) के संबंध में एक संशोधन किया गया है — बजाय तलाशी से संबंधित किसी रिकार्ड की प्रतिलिपि अपने निकटतम मजिस्ट्रेट, जिसे अपराध का संज्ञान लेने का अधिकार है, के पास भेजने को उसे सीजीएसटी / एसजीएसटी के प्रमुख आयुक्त / आयुक्त को भेजा जाना है।